मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2361

04.08.2025 को उत्तर के लिए

ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं की मिथ्या रिपोर्टिंग

2361. श्री राकेश राठौर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापक स्तर पर माल और सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी, फर्जी चालान और ई-कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र में कर विधियों और पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत विक्रेताओं के बारे में पता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन अनियमित ऑपरेटरों को औपचारिक प्रणाली में लाने, पारदर्शी तत्समय निगरानी प्रणाली विकसित करने, ई-कचरे के अनौपचारिक परिवहन और मिथ्या रिपोर्टिंग को रोकने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जीएसटी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नीति में संशोधन करके अनुपालन को सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित और एकीकृत करने तथा उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्हें बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी, फर्जी चालान और ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग क्षेत्र में कर और पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत विक्रेताओं से संबंधित कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और इसे दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है। इन नए नियमों में पर्यावरण की दृष्टि से ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करने तथा ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए उन्नत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है, जिसके तहत सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नये प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यापार करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में लाने तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं। पर्यावरण क्षतिपूर्ति तथा सत्यापन एवं लेखापरीक्षा के प्रावधान भी शुरू किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई-अपशिष्ट के उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं जैसी संस्थाओं को पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ii) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। ये दिशानिर्देश पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से संबंधित प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विवरण देते हैं।

(iii) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना लागू है और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन कर रही हैं। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्य योजना के अनुसार, एसपीसीबी/पीसीसी को अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जाँच के लिए नियमित अभियान चलाने और उन्हें औपचारिक बनाने का दायित्व सौंपा गया है ।

(iv) पंजीकृत संस्थाएं ई-अपशिष्ट पोर्टल पर त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के माध्यम से अपना अनुपालन प्रस्तुत करती हैं।

(v) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, ताकि इन नियमों और दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर ईसी लगाया जा सके।

(vi) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिनांक 06.09.2022 को अनौपचारिक ई-अपशिष्ट गतिविधियों की जाँच, ई-अपशिष्ट के अधिकृत

विघटनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं के सत्यापन और व्यापक जागरूकता अभियान के संबंध में निर्देश।

ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिनांक 30.01.2024 के ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल पर उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं के पंजीकरण के संबंध में निर्देश।

ग) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकों के ईपीआर उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा ईपीआर प्रमाणपत्रों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिनांक 14.02.2024 के निर्देश।

(घ): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार लागत प्रभावी प्रोद्योगिकी सोल्यूशंस , कौशल, क्षमता निर्माण आदि विकसित करने में शामिल है। स्वदेशी तकनीकी समाधान के साथ सामग्री आपूर्ति श्रृंखला में अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करके उन्हें औपचारिक बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) सिक्किम, पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) चंडीगढ़ और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सीएमईटी) हैदराबाद में ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर कौशल और उद्यमिता विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण पर एक कार्यक्रम लागू किया था। ई-अपशिष्ट निराकरण, पृथक्करण पर मानक पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य निकटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। विकसित पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा मान्यता दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 1500 से अधिक अभ्यर्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। इन राज्यों में निरंतर कार्यक्रम के लिए एनआईईएलआईटी गंगटोक, पीयू चंडीगढ़ और सीएमईटी हैदराबाद में ई-अपशिष्ट विघटन और पृथक्करण प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। लाभार्थियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली भी बनाई गई है। उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल के साथ प्रशिक्षण प्रदान करके क्षमता निर्माण , उदमीयता विकास और सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं, जिससे बेहतर रोजगार की संभावनाएं पैदा होती हैं,
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक मूल्य श्रृंखला में उन्नत करने के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, "एमएसएमई योजना के तहत रीसाइक्लिंग क्लस्टरों के गठन के साथ अनौपचारिक क्षेत्र क्षमता निर्माण उन्नयन और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से संसाधनों की वसूली के लिए सक्षम प्रौद्योगिकी जिससे संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा" पर एक परियोजना शुरू की गई है।

*****